भारत सरकार

विदेश मंत्रालय

राज्यसभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1202

दिनांक 29.07.2021 को उत्तर देने के लिए

विदेश में उच्चतर शिक्षा के लिए छात्र वीजा

1202. श्रीमती फूलो देवी नेतमः

क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मंत्रालय ने विदेश में पढ़ाई करने के लिए जाने वाले/पढ़ाई करने के लिए पुनः जाने वाले छात्रों के लिए एक प्रणाली स्थापित की है ताकि वे कठिनाइयों का सामना करने पर विदेश मंत्रालय से संपर्क कर सकें;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या मंत्रालय ने संबंधित सरकारों के साथ विदेशों के समक्ष उच्चतर शिक्षा के लिए वीजा प्राप्त करने में कठिनाई की समस्या को रखा है;

(घ) यदि हाँ, तो उठाए जा रहे कदमों का ब्यौरा क्या है; और

(ड.) मंत्रालय यह सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठा रहा है कि वीजा सेवाएं उन सभी भौगोलिक क्षेत्रों के लिए खुली हैं जहां छात्रों को यात्रा करनी होती है?

उत्तर

विदेश राज्य मंत्री

(श्री वी. मुरलीधरन)

(क) और (ख) विदेशों में रहने वाले भारतीयों और छात्रों का कल्याण भारत सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। भारतीय मिशन/केंद्र उस देश में रहने वाले छात्रों सहित सभी भारतीय नागरिकों का स्वैच्छिक पंजीकरण किया जाता है। फरवरी, 2015 में शुरू मदद पोर्टल विदेशों में रहने वाले सभी भारतीयों को सहायता प्रदान करता है। 15 जुलाई, 2016 को शुरू मदद पोर्टल का छात्र मॉडयूल, विदेशों में जाने वाले भारतीय छात्रों का डाटाबेस तैयार करने के अलावा, विदेशों में रहने वाले भारतीय छात्रों को स्वेच्छा से पंजीकरण करने और उनके पाठ्यक्रम, ठिकाने, संस्थान, पाठ्यक्रम की अवधि इत्यादि के बारे में डाटा प्रदान

करने में सक्षम है। इससे अलग, भारतीय उत्प्रवासन केन्द्र जो मंत्रालय का एक विचार मंच है, ने विदेशों में अध्ययन के लिए जाने वाले छात्रों को मूल जानकारी प्रदान करने के उद्देश्य से एक ''स्टूडेंट हैण्डबुक फॉर स्टडींग एब्रोड'' नामक पुस्तक तैयार की है। मंत्रालय विदेशों में स्थित अपने मिशनों /केंद्रों के माध्यम से विदेशों में पढ़ाई करने वाले छात्रों के साथ नियमित रूप से बातचीत करता रहता है ताकि उन्हें स्वेच्छा से छात्र मॉडयूल पर अपना विवरण दर्ज करने के लिए प्रोत्साहित किया जा सके। मंत्रालय और विदेश स्थित भारतीय मिशन समय-समय पर परामर्शी जारी करते हैं जिसमें भारतीय छात्रों को यह सुनिश्चित करने के लिए यथोचित प्रयास करने की सलाह दी जाती है कि जिन विदेशी संस्थानों में वे प्रवेश चाहते हैं उन संस्थाओं के पास उचित प्राधिकार एवं क्षमताएं और सभी संबंधित दस्तावेज हों।

(ग) से (ङ) मंत्रालय, विदेश स्थित विश्वविद्यालयों में पंजीकृत भारतीय छात्रों के लिए संबंधित देशों में यात्रा को सरल बनाने के लिए, यात्रा प्रतिबंधों जहां कही भी हो, को सरल बनाने का प्रयास कर रहा है। विदेश स्थित हमारे मिशन, संबंधित सरकारों के साथ इन मामलों को सक्रिय रूप से उठा रहे हैं और उन सरकारों से यात्रा प्रतिबंधों को सरल बनाने पर जोर दे रहे हैं। साथ ही कई देशों के साथ मंत्री स्तर पर यात्रा प्रतिबंधों का मुद्दा उठाया गया है। इसके परिणामस्वरूप छात्रों के लिए यूएसए, कनाडा, यूके, आयरलैंड, जर्मनी, नीदरलैंड, बेल्जियम, लक्जमबर्ग, जॉर्जिया आदि सहित कई देशों में यात्रा प्रतिबंधों को सरल बनाया जा रहा है, इसके साथ ही कोविड की स्थिति में सुधार आने पर और देशों द्वारा भी यात्रा प्रतिबंधों को हटाने की उम्मीद है।

***